रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 21] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 29, 2012/अग्रहायण 8, 1934

No. 21] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 29, 2012/AGRAHAYANA 8, 1934

गृह मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2012

फा. सं. 11034/12/2011-आईएस.VI.—विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 36(4) के साथ पठित धारा 36(1) के तहत अस्वीकार किए गए आंकड़ों पर पुनर्विचार करने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 37(2) के तहत पुनरीक्षा समिति के गठन के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा स्वतंत्र पुनरीक्षा हेतु निम्नलिखित पुनरीक्षा समिति को नियुक्त करती है :—

(i) माननीय न्यायाधीश शिवनारायण धींगड़ा (सेवानिवृत्त) —अध्यक्ष

(ii) श्री आर. एल. मीना, पूर्व विधि सचिव (सेवानिवृत्त) —सदस्य

2. जब कभी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 36 की उप-धारा (1) के तहत आवेदन को केन्द्र सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया हो तथा आवेदक ने पुनरीक्षा हेतु पुनरीक्षा समिति के समक्ष आवेदन किया हो, तो ऐसे मामले अथवा मामलों को पुनरीक्षा समिति को भेजे जाने की स्थिति में समिति बैठक करेगी ।

3. समिति की बैठक के स्थान का निर्धारण स्वयं समिति करेगी । उपर्युक्त समिति के सदस्यों की नियुक्ति प्रारंभ में इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी जिसकी इस अवधि के समाप्त होने पर पुनरीक्षा की जाएगी ।

4. पुनरीक्षा समिति के अध्यक्ष तथा सदस्य का मानदेय प्रत्येक मामले के लिए 1 लाख रुपये नियत है ।

5. समिति को अपने कार्यों के संचालन के लिए अपेक्षित हर संभव सहायता मुहैया करवाई जाएगी ।

धर्मेन्द्र शर्मा, संयुक्त सचिव (आई एस-I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 29th November, 2012

F. No. 11034/12/2011-IS. VI.— In exercise of the powers conferred by Section 37(2) of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) to constitute a Review Committee for the review of the applications rejected under Section 36(1), read with Section 36(4) of the Act, the Central Government hereby appoints the following Review Committee for the purpose of making an independent review :—

(i) Hon'ble Justice Shiv Narayan Dhingra (Retd.) Chairperson

(ii) Sh. R. L. Meena, Former Law Secretary (Retd.) Member

2. The Committee shall meet as and when any case or cases are referred to it for review where an application under Sub-section (1) of Section 36 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 has been rejected by the Central Government and the applicant applied for a review to the Review Committee.

3. The place of the meeting of the Committee may be such as may be decided by it. The appointment of the above Committee members will be initially for a period of two years from the date of the issue of this Order, which may be reviewed at the end of this period.

4. The Honorarium for the Chairperson and the Member of the Review Committee is fixed as Rs. 1 lakh each per case.

5. The Committee will be provided every such assistance as may be required by it for the discharge of its functions.

DHARMENDRA SHARMA, Jt. Secy.(IS. I)

4437 GI/2012

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.